114.12

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3012] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2019/भाद्र 25, 1941
No. 3012] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2019/ BHADRA 25, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

का.आ. 3292(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2188(अ) तारीख 23 जून, 2016 और का.आ. 3333(अ) तारीख 26 अक्तूबर, 2016 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्य निर्वहन करने के लिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण करने के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी से मिलकर बनाने वाले राजमार्ग प्रशासन का स्थापन करती है, अर्थात् :--

क्रम सं.	अधिकारी
(1)	(2)
1.	सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय – अध्यक्ष
2.	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय – सदस्य
3.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण – सदस्य
4.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड – सदस्य

5.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय – सदस्य
6.	संयुक्त सचिव (राजमार्ग), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय – सदस्य

[फा. सं. एनएच-11011/33/2019-एलए]

अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2019

S.O. 3292(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2188(E) dated the 23rd June, 2016 and S.O. 3333(E), dated 26th of October, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby establishes Highway Administration consisting of the Officer specified in column (2) of the Table below for the entire National Highway in India to exercise the powers and discharge the functions conferred under the provisions of the said Act, namely:-

Sr. No.	Officer
(1)	(2)
1.	Secretary to Government of India, Ministry of Road Transport and Highways - Chairperson
2.	Director General (Road Development) and Special Secretary, Ministry of Road Transport and Highways – Member
3.	Chairman, National Highways Authority of India – Member
4.	Managing Director, National Highways Infrastructure Development Corporation Limited – Member
5.	Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Road Transport and Highways – Member
6.	Joint Secretary (Highways), Ministry of Road Transport and Highways - Member

[F. No. NH-11011/33/2019-LA]

AMIT KUMAR GHOSH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

का.आ. 3293(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजमार्ग की लंबाई और सीमा तथा अधिकारिता के संबंध में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित राजमार्ग प्रशासन का स्थापन करती है, अर्थात् :--

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबाई और सीमा, राजमार्ग प्रशासन व उसकी परिभाषित अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
(i)	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों या राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन तथा सहयुक्त अवसंरचना और सुविधाओं के माध्यम से सीधे ही विकसित और अनुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए
(ii)	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	समय-समय पर विकसित और अनुरक्षित करने और सहयुक्त अवसंरचना और सुविधाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को न्यसत, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए
(iii)	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	समय-समय पर विकास और अनुरक्षित करने और सहयुक्त अवसंरचना तथा सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को न्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक और राज्य लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के कार्यपालक इंजीनियर अपनी संबंधी प्रादेशिक अधिकारिता के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 24, 26, 27, 30, 33, 36, 37, और 43 के अधीन प्रदत्त, राजमार्ग प्रशासन की शक्ति और कृत्यों का प्रयोग करेंगे।

3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रादेशिक अधिकारी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रादेशिक अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक अपनी संबंधित प्रादेशिक अधिकारिता के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 25, 28, 31 और 43 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

[फा. सं. एनएच-11011/33/2019-एलए]

अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th September, 2019

S.O. 3293(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 3 of The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby establishes the Highway Administration mentioned in column (2) of the Table given below in respect of length and limits and jurisdiction of Highway Administration under the provisions of the said Act as specified in corresponding column (3) of the Table namely:-

TABLE

Sr. No.	**Designation of the officer**	**National Highways, length and limits thereof defining jurisdiction of Highway Administration**
(1)	(2)	(3)
(i)	Director General (Road Development) and Special Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	For the National Highways developed and maintained directly by Ministry of Road Transport and Highways through its Project Implementation Units or the State Public Works Departments, and the Border Roads Organisation and the associated infrastructure and facilities
(ii)	Chairman, National Highways Authority of India (NHAI)	For the National Highways entrusted to the National Highways Authority of India for development and maintenance from time to time and the associated infrastructure and facilities
(iii)	Managing Director, National Highways Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL)	For the National Highways entrusted to the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited for development and maintenance from time to time and the associated infrastructure and facilities

2. The Project Director of the National Highway Authority of India and General Manager or Deputy General Manager of the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited and the Executive Engineer of the National Highway Wing of the State Public Works Department shall exercise the powers and functions of the Highway Administration conferred under sections 24, 26, 27, 30, 33, 36, 37 and 43 of the said Act in respect of their respective territorial jurisdiction.

3. The Regional Officer of the Ministry of Road Transport and the Highways and the Regional Officer of the National Highway Authority of India and the Executive Director of the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the powers conferred under sections 25, 28, 31 and 43 of the said Act in respect of their respective territorial jurisdiction.

[F. No. NH-11011/33/2019-LA]

AMIT KUMAR GHOSH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.16 23:08:33 +05'30'